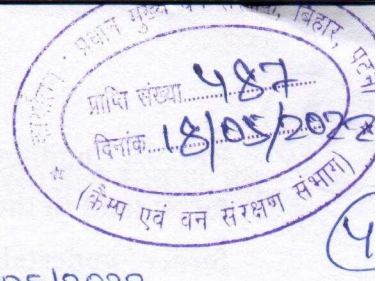


सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 17/05/2022



विषय— सुश्री प्रियंका कुमारी द्वारा सारण जिलान्तर्गत कोटेआ मौजा के खाता संख्या-82, खेसरा संख्या-49, 54 अंचल-जलालपुर में NH-101 छपरा-जलालपुर पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0255 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका कार्यालय पत्रांक 286, दिनांक 05.04.2022,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/51533/2020/153, दिनांक 21.03.2022 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1.

हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,71,390.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 150627051533605, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 08.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARB202204082098853673 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0255 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 24,423/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 150627051533605, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 08.04.2022 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- BARB202204082098853673 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 08.04.2022 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगी।
2. इन शर्तों के अनुपालन के संबंध में मांग की गयी राशि मेरे द्वारा कैम्पा लेखा में जमा करा दिया गया है।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

प्रियंका कुमारी

प्रियंका कुमारी,

पिता-श्री अजय कुमार सिंह,

ग्राम-बसडीला, जलालपुर छपरा,

जिला-सारण पिन-841412

Branch: KoteaDate: 8/4/2022

Base Branch:	<u>Kotea</u>
Account No.:	<u>528202 00000124</u>
Name of the Account Holder:	<u>Ashwini Kumar Singh</u>

RTGS/NEFT favouring:

Bank:	<u>Union Bank of India</u>
Branch:	<u>New Delhi</u>
IFS Code:	<u>UBIN0903710</u>
Beneficiary's A/c. No.:	<u>150627051</u>
Beneficiary's A/c. Type:	<u>533605</u>
Beneficiary's Name:	<u>Bihar Campa</u>

Amount (₹)	
Amount of Remittance	<u>795813</u>
Exchange	<u>/</u>
Total	<u>795813</u>

Amount (in words) Rupees Seven
Lakh Ninety - five Thousand
Eight Hundred and Thirteen
Rupees only

Clerk/Cashier/Teller  Acctt.
 (Cheque(s) subject to realization)

TSANB202204082098853673

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सारण जिला में प्रयोक्ता एजेंसी प्रियंका कुमारी, मौजा-कोठिया (Kothiya), थाना-जलालपुर, खाता नं०-82, खेसरा सं०-49, 54, अंचल-जलालपुर, थाना नं०-252, जिला-सारण द्वारा BPCL का रिटेल आउटलेट के रैखिक परियोजना निर्माण कुल किलोमीटर 0.0255 हे० में पड़ने वाले पथ पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि 0.0255 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पत्रांक-41 दिनांक-12.01.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-211 दिनांक-21.04.2022 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि 2011 की जनगणना में उक्त ग्राम में अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी कुल-891 है।

तदालोक में प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांव में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी कुल-891 है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सारण, छपरा

अपर समाहर्ता
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक 411 / आ० दिनांक 11/5/22

प्रतिलिपि:- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा